21/6/19

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/ ई०एल०आर०एस०/408/2019/1336 भोपाल, दिनांक 21.06.19

प्रति,

कलेक्टर,

छिन्दवाड़ा, डिण्डोरी, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर,

जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, शहडोल मध्य प्रदेश।

विषय :- कन्या शिक्षा परिसरों/शासकीय गुरूकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अपग्रेडेशन।

--0--

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संलग्न सूची अनुसार 13 संस्थाओं को एकलव्य विद्यालय मे अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेडेशन उपरान्त इन संस्थाओं का नियंत्रण म०प्र०ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंसियल एण्ड आश्रम एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी भोपाल के अन्तर्गत होगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों विद्यालय में अपग्रेड होने वाली आपके जिले की संस्था में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

1. म०प्र०ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंसियल एण्ड आश्रम एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी भोपाल - कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन (समिति के अध्यक्ष सदस्यों की सूची संलग्न)
2. जिला कलेक्टर एवं प्राचार्य का संयुक्त बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाकर खाताधारक का नाम, बैंक खाता क्रमांक एवं आई०एफ०एस०सी०कोड, एवं प्राचार्य का मोबाईल संख्या एवं ई-मेल एड्रेस उपलब्ध करावें।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सी०बी०एस०ई० संबद्धता प्राप्त किए जाने हेतु समय में निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र आवेदन किया जावे।
4. अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कक्षावार जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
5. संस्था में वर्तमान में पदस्थ स्टाफ की जानकारी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही एवं वांछित जानकारी ई-मेल eemrs.ctd@mp.gov.in पर उपलब्ध करावें।

(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त

प्राचार्य
एकलव्य आ.आ.वि.(क.शि.प.)
अलीराजपुर

पृ०क्रमांक ए०आर०एस०/408/2019/1337 भोपाल, दिनांक 21-06-2019

प्रतिलिपि :-

1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छिन्दवाड़ा, डिण्डोरी, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, शहडोल मध्य प्रदेश।
2. प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर हर्रई/नामिया जिला छिन्दवाड़ा, शहपुरा जिला डिण्डोरी, पेटलावद/मेघनगर जिला झाबुआ, झिरन्या जिला खरगोन, राजपुर जिला बड़वानी, गंधवानी जिला धार, अलीराजपुर मध्य प्रदेश।
3. शासकीय गुरूकुलम आवासीय विद्यालय भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, शहडोल मध्य प्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
आदिवासी विकास
म०प्र०

प्राचार्य
एकलव्य आ.आ.वि.(क.शि.प.)
अलीराजपुर

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अपग्रेड होने वाली संस्थायें

क्र.	जिला	अपग्रेड कन्या शिक्षा परिसर/गुरूकुलम विद्यालय	वर्ष
1	छिन्दवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर हर्रई	2018-19
2	छिन्दवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर तामिया	2018-19
3	डिण्डोरी	कन्या शिक्षा परिसर शहपुरा	2018-19
4	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर पेटलावद	2019-20
5	खरगोन	कन्या शिक्षा परिसर झिरन्या	2019-20
6	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर मेघनगर	2019-20
7	बड़वानी	कन्या शिक्षा परिसर राजपुर	2019-20
8	धार	कन्या शिक्षा परिसर गंधवानी	2019-20
9	अलीराजपुर	कन्या शिक्षा परिसर अलीराजपुर	2019-20
10	भोपाल	गुरूकुलम भोपाल	2019-20
11	इन्दौर	गुरूकुलम इन्दौर	2019-20
12	जबलपुर	गुरूकुलम जबलपुर	2019-20
13	शहडोल	गुरूकुलम शहडोल	2019-20

उप आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

प्राचार्य
एकलव्य आ.आ.वि.(क.शि.प.)
अलीराजपुर

जिला स्तरीय समिति एवं उसके दायित्व

- जिला स्तरीय समिति नियमों में उल्लेख नहीं है, आयुक्त आदिवासी विकास के प: दिनांक 03.08.01 एवं शासन ज्ञापन दिनांक 22.06.15 द्वारा निम्न समिति गठि: है:-

1. जिला कलेक्टर,	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं.,	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी,	सदस्य
4. कार्यपालन यंत्री, पी.आई.यू., तकनीकी	सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास विभाग,	सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सदस्य
7. प्राचार्य, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय,	सदस्य
8. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकासविभाग,	सदस्य
9. संबंधित संस्था के प्राचार्य,	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

1. संस्था के भवन निर्माण की व्यवस्था एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता।
2. संस्था का संचालन/पर्यवेक्षण/बुनियादी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता।
3. संस्था के संचालन हेतु आवश्यक उपाय तथा अन्य विभागों से समन्वय।
4. संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था तथा शैक्षणिक नवाचार।
5. संस्था के संचालन हेतु प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग/मूल्यांकन
6. जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी।

प्राचार्य
एकलव्य आ.आ.वि.(क.शि.प.)
अलीराजपुर